

कार्यालय- निबंधक, व्यवहार न्यायालय, दुमका

ज्ञापांक सख्या 63 दिनांक 12.01.2024

रददी कागज के विक्रय हेतु नोटिस

इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि व्यवहार न्यायालय, दुमका के न्यायालयों के द्वारा निष्पादित पुराने अभिलेखों का कतरन (रददी कागज) खुले में निलामी के द्वारा विक्रय किया जाना है। न्यायालय परिसर में रददी कागज कुल 55 बोरो में रखा गया है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म जो इन रददी कागजों को खरीदने में इच्छुक हैं निम्नलिखित शर्तों के आधार पर निलामी में खरीद सकते हैं:-

क्रम स०	विवरण	मात्रा
01	पुराने अभिलेखों का कतरन (रददी कागज)	55 बोरा

01. रददी कागज का विक्रय खुले में निलामी के माध्यम से की जायगी। निलामी की प्रक्रिया दिनांक 30.01.2024 को 10.30 बजे (AM) व्यवहार न्यायालय, दुमका के परिसर में की जाएगी।
02. निलामी में अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म को सफल घोषित किया जायगा। बोली की राशि (+ GST) डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से नजारत, व्यवहार न्यायालय, दुमका में जमा करना होगा।
03. बोली की राशि निलामी की तिथि से 3 दिनों के अन्दर नजारत, व्यवहार न्यायालय, दुमका में जमा करना होगा।
04. निलामी में शामिल होने वाले व्यक्ति/फर्म को सौ रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट निबंधक, व्यवहार न्यायालय, दुमका के पक्ष में देय, साथ में शामिल होने का आवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक दिन पूर्व तक (29.01.2024) जमा करना आवश्यक होगा।
05. निलामी को रदद घोषित करने का सर्वाधिकार श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुमका को सुरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर दुमका जिला के अन्तर्गत होगा।
06. निलामी के संबंध में झारखंड सरकार, राँची के निलामी संबंधित नियमावली लागू होगी।
07. निलामी में शामिल होने वाले व्यक्ति/फर्म किसी भी कार्य दिवस में परिसर में रखे रददी कागजों का निरिक्षण कर सकते हैं।

ज्ञापांक सं० 65 दिनांक :- 12.01.24 (12.01.24)

Copy forwarded to PSA Dumka for information
& grateful.

निबंधक,
व्यवहार न्यायालय, दुमका
12/01/24